proceeding

Signature of Parties or Pleaders where necessary

18/08/2017

श्री जी.एस. निगम अधिवक्ता द्वारा शीघ्र सुनवाई का आवेदनपत्र आरोपी बाबूराम की ओर से प्रस्तुत किया गया, विचारोपरांत आवेदन स्वीकार कर प्रकरण आज पेशी में लिया गया।

आरोपी बाबूराम की ओर से आवेदनपत्र अंतर्गत घारा 439 जा.फौ. पेश किया। आवेदन की नकल परिवादी अधिवक्ता को दी गयी।

उभयपक्ष को सुना गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा जमानत पर आपत्ति व्यक्त की गयी।

प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण में आरोपी बाबूराम दि0—15/8/17 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रस्तुत जमानत आवेदन में निवेदन किया गया है कि प्रकरण की उसे जानकारी नहीं थी। परिवादी कंपनी द्वारा झूंढा परिवाद पेश किया गया है। आवेदक द्वारा कभी विद्युत चोरी नहीं की। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आरोपी के विरुद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 के तहत विद्युत बिल बकाया राशि 86,583/— की वसूली बाबत परिवाद पेश किया गया है. जिसके निराकरण में समय लगने की संभावना है। आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में है। अतः प्रस्तुत जमानत आवेदनपत्र विचारोपरांत न्यायहित में इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि आरोपी स्वयं पेशी पर उपस्थित होने बावत रुपए 2000 की जमानत एवं समान राशि का बंधपत्र प्रस्तुत होने पर उसे जमानत पर छोड़ा जावे।

प्रकरण पूर्ववत दिनांक 21/08/2017 को पेश हो।

वीरेन्द्र सिंह राजपूत अपर सत्र न्यायाधीश गोहद